मेरठ कॉलिज, मेरठ

01.10.2021

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के भामाशाह पार्क स्थित बैडमिंटन हॉल को तीन वर्षो के रख–रखाव पर दिये जाने हेतु।

महाविद्यालय के भामाशाह पार्क स्थित बैंडमिन्टन हॉल के वार्षिक रख–रखाव हेतु विद्युत एवं समस्त व्यय सहित तीन वर्षो के लिये दिये जाने के सन्दर्भ में अपने आवेदन पत्र व प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000 का ड्राफ्ट/चैक के साथ दिनांक 09.10.2021 तक कालिज कार्यालय में श्री दीपक शर्मा के पास जमा करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त तिथि के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा। आवेदन करने से पूर्व महाविद्यालय की वेवसाईट www.meerutcollege.org पर समस्त नियम व शर्तें अनिवार्य रूप से पढ लें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

प्राचार्य
मेरठ कालिज, मेरठ

अवैतनिक मंत्री
मेरठ कालिज, मेरठ

बैडमिन्टन हाल के रख–रखाव हेतु शर्तें निम्न प्रकार है–

1. महाविद्यालय के भामाशाह पार्क स्थित बैडमिन्टन हॉल के रख–रखाव हेतु तीन वर्षो के लिये दिया जायेगा
2. प्रत्येक वर्ष की धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी 01 नवम्बर 2021 को रूपये .... 01 नवम्बर 2022 को रूपये .... तथा 01 नवम्बर 2023 को रूपये .... जमा करने होंगे।
3. बैडमिन्टन हॉल हेतु आवेदन स्वीकृत होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक वर्ष की स्वीकृत धनराशि का भुगतान कॉलिज कार्यालय में जमा करना होगा तथा अगले वर्ष की धनराशि 01 नवम्बर 2022 तथा अन्तिम वर्ष की धनराशि 01 नवम्बर 2023 तक अनिवार्य रूप से कॉलिज कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. यह कि महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि आपको एक माह का नोटिस देकर बैडमिन्टन हॉल खाली करवा लिया जोयगा। जिस पर आपको कोई भी किरायेदारी/रख–रखाव मान्य नहीं होगा।
5. बैडमिन्टन हॉल का रख–रखाव तथा कोर्ट का रख–रखाव व मरम्मत, विद्युत बिल आदि का भुगतान आपको स्वयं करना होगा।
6. बैडमिन्टन हेतु प्रशिक्षित कोच की नियुक्ति करनी होगी। जिसका भुगतान आपको करना होगा।
7. बैडमिन्टर हॉल स्थिति चार कोर्ट में से एक कोर्ट आपको महाविद्यालय के लिये आरक्षित रखना होगा।
8. बैडमिन्टन हॉल में किसी भी प्रकार का नशा प्रतिबंन्धित होगा। (जैसे धुम्रपान, गुटका, शराब इत्यादि)
9. बैडमिन्टन हॉल में आगन्तुकों/स्टॉफ वार्ड/प्रबन्ध समिति/छात्रों से महाविघलाय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा।
10. बैडमिन्टन हॉल में किसी भी बैडमिन्टन प्रतियोगिता के आयोजन करने से पूर्व प्राचार्य की अनुमति लेना अनिवार्य होगी।
11. बैडमिन्टन हॉल में बैडमिन्टन प्रतियोगिता के अतिरिक्त कोई भी अन्य आयोजन एवं प्रतियोगिता कराने की अनुमति नहीं होगी।
12. महाविद्यालय की प्रतियोगिताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

PRINCIPAL
MEERUT COLLEGE, MEERUT

HONY. SECRETARY
MEERUT COLLEGE MEERUT